दिनांक- 30.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 113/26

महोबा पुलिस

सर्किल -कुलपहाड़, थाना - पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

उक्त अभियान के अंतर्गत गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 कमल सिंह एवं उ0नि0 सुधीर कुमार द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र मदनपाल राजपूत निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा है, जो मु0नं0 2796/2020, सरकार बनाम धर्मेन्द्र राजपूत, अ0सं0 226/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित एनबीडब्ल्यू वारंट में वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 कमल सिंह, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. उ0नि0 सुधीर कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

वारण्टी अभियुक्त:

धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र मदनपाल राजपूत निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

महोबा पुलिस

दिनांक- 30.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 114/26

सर्किल -नगर, थाना - खन्ना

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोबा श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना जनपद महोबा के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 30.05.2026 को उ0नि0 हीरामणि तिवारी मय हमराह हे0का0 लालचन्द्र द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त जोगना कोरी पुत्र चौधरी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम घण्डुआ थाना खन्ना जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध केस नं0 1808/24, मु0अ0सं0 273/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम बांदा द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारंट लंबित था।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम घण्डुआ के पहले नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

जोगना कोरी पुत्र चौधरी, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम घण्डुआ थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 हीरामणि तिवारी, थाना खन्ना जनपद महोबा
2. हे0का0 लालचन्द्र, थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 30.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 115/26

महोबा पुलिस

क्षेत्राधिकारी श्री गौरव उपाध्याय द्वारा डायल-112, रेडियो शाखा, फायर सर्विस महोबा एवं यातायात कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा

आज दिनांक 30.05.2026 को क्षेत्राधिकारी श्री गौरव उपाध्याय द्वारा जनपद महोबा में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं का क्रमवार विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने डायल 112, ROIP, रेडियो शाखा, फायर सर्विस महोबा तथा यातायात कार्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा संबंधित शाखाओं में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव, उपकरणों की कार्यशीलता एवं आपातकालीन सेवाओं की तत्परता की समीक्षा की गई। उन्होंने डायल 112 एवं ROIP शाखा में प्राप्त होने वाली सूचनाओं के त्वरित निस्तारण, रेडियो शाखा में संचार व्यवस्था की सुदृढ़ता तथा फायर सर्विस में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यक्षमता की विशेष रूप से जांच की।

यातायात कार्यालय के निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा यातायात प्रबंधन, चालान प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण एवं सड़क सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं सजगता के साथ करने हेतु निर्देशित किया, साथ ही आमजन को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।